सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि प्लाट नं. 520, फेज-3 के लिए एचएसआईआईडीसी का मूल आवंटन पत्र तिथि 2.7.2014 तथा अन्य दस्तावेज कहीं गुम हो गया तथा खो गया है तथा हर तरह के प्रयाशो के बाद नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में अपराध शाखा, दिल्ली कार्यालय में एलआर नं. 1872375/2024 के अंतर्गत एफआईआर भी दाखिल की गई है। यदि किसी को इसकी जानकारी हो तो कृपया महा प्रबंधक, एचएसआईआईडीसी उद्योग विहार, गुरूग्राम के पास आवंटन पत्र जमा करें।

आज दिनांक 17 जुलाई, 2024

हस्ता/-
महाप्रबंधक
एचएसआईआईडीसी

अल्पकालीन निविदा सूचना

[illegible]

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमोदित धन	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य जी.एस.टी. सहित	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	ग्राम पंचायत [illegible] में स्ट्रीट लाइट	600000.00	12000.00	500+GST	01 माह

नोट: निविदा की प्रतियाँ दिनांक [illegible] को कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

[illegible]

खण्ड विकास अधिकारी
अलवेड़ा

pnb Housing Finance Limited

दीन. कार्यालय: 9वीं मंजिल अंतरिक्ष भवन 22 केजी मार्ग, नई दिल्ली- 110001 फोन: 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट: www.pnbhousing.com
शाखा कार्यालय: प्लॉट संख्या टीसी/जी-2/2, और टीसी/जी5/5, कमर्शियल संख्या-307 एवं 308, तृतीय तल, कमर्शियल लिमिटेड कॉम्प्लेक्स, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ 226010.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के तहत और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के नियम 8(1) के अनुपालन में और धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के रूप में सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथि पर मांग नोटिस जारी किया गया है, जिसमें संबंधित उधारकर्ता को नोटिस(नोटिस)/उक्त नोटिस/नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था।
उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, तो उधारकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति/यों पर प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तिथियों पर उक्त अधिनियम के नियमों के नियम 8 के साथ कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति/संपत्तियों के साथ लेनदेन न करें और संपत्ति/संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन राशि और उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शुल्क के अधीन होगा, प्रति ऋण समझौता। । सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1	HOU/LUC/1120/834818 बी.ओ.: लखनऊ	श्री आदित्य गुप्ता, श्रीमती मंजू गुप्ता, श्री रितेश कुमार गुप्ता, श्रीमती वर्षा गुप्ता, मकान संख्या 473/316, प्लॉट संख्या 64, खसरा संख्या 80 का भाग, कृष्णा -पुरी (नेवती टोला); लखनऊ	15-04-2024	18/04/2024 तक रु. 18,36,433.07 (सोलह लाख छत्तीस हजार चार सौ तैंतीस रुपये और सात पैसे मात्र)	10-07-2024 (प्रतीकात्मक)	संपत्ति मकान संख्या 437/316 क्षेत्रफल 775 वर्ग फीट या 72.026 वर्ग मीटर प्लॉट संख्या 64 पर, खसरा संख्या 80 का हिस्सा,- कृष्णापुरी कॉलोनी (नेवती टोला), वार्ड गऊघाट, [illegible], लखनऊ, आयाम इस प्रकार है: पूर्व: प्लॉट नं. 63, पश्चिम: प्लॉट नं. 65, उत्तर: 20 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: मकान नं. 52
2	HOU/LUC/0916/314299 और NHULUC/0916/321218 बी.ओ.: लखनऊ	स्वर्गीय कैलाश बहादुर सिंह (उधारकर्ता), श्रीमती मोनी सिंह (सह-उधारकर्ता) के सभी कानूनी उत्तराधिकारी फजुल्लागंज, गौर भीठ, फैजुल्लागंज, लखनऊ	18-04-2024	18/04/2024 तक रु. 24,67,918.25 (चौबीस लाख सरसठ हजार नौ सौ सोलह रुपये और पच्चीस पैसे मात्र)	10-07-2024 (प्रतीकात्मक)	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा - प्लॉट संख्या 214, खसरा संख्या 612 (मिन), ग्राम गौरभीठ, फैजुल्लागंज, लखनऊ यूपी के हिस्से पर बना मकान 600 वर्ग फीट का क्षेत्रफल। पूर्व: मकान नंबर 238, पश्चिम: रास्ता 20 फीट चौड़ा, उत्तर: [illegible] का मकान, दक्षिण: मकान नंबर 213

स्थान: - लखनऊ, दिनांक: 16.07.2024 — **प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

JM FINANCIAL — जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, सेनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
टी: +91 22 6630 3030 एफ: +911 22 6630 3223 www. Jmfinancialarc.com

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (तत्कालीन दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत और नियम के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के 3 ने एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर को नोटिस में उल्लिखित राशि को संविदात्मक दर पर ब्याज के साथ उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तारीख तक देय व्यय, लागत, शुल्क आदि चुकाने के लिए कहा गया था इसके बाद, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (तत्कालीन दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने उधारकर्ता से संबंधित वित्तीय संपत्तियों को अंतर्निहित सुरक्षा हित के साथ-साथ सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज के साथ जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन के पक्ष में सौंप दिया। कंपनी लिमिटेड, 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते (इसके बाद इसे 'असाइनमेंट एग्रीमेंट' के रूप में संदर्भित) के तहत सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अरन्या-ट्रस्ट (इसके बाद 'जेएमएफएआरसी' के रूप में संदर्भित) के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है। उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, उधारकर्ता(कों), सह-उधारकर्ता(ओं), गारंटर(ओं) और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि जेएमएफएआरसी के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कब्जा कर लिया है नीचे वर्णित संपत्ति, सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए। विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि के लिए जेएमएफएआरसी के शुल्क के अधीन होगा और पुनर्भुगतान की तारीख तक उस पर ब्याज भी देना होगा। उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर का ध्यान सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्रं. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तारीख और एनपीए की तारीख के साथ राशि	कब्जा की तिथि
1	(एलसी नं.-26100000407)/ श्री/श्रीमती पित्ता सिंह (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती देवेन्द्र सिंह (सह-उधारकर्ता-1), श्री/श्रीमती अमित कुमार (सह-उधारकर्ता-2)	आराजी नं.796 मौजा हसारी गिर्द मोहल्ला हसारी वार्ड नं. 1 पंचमेश्वर महादेव झांसी झांसी उत्तर प्रदेश - 284001 के भाग पर एक प्लॉट:-	राशि:-28-नवम्बर-2023, रु.-11,35,122/- (ग्यारह लाख पैंतीस हजार एक सौ बाईस रुपये मात्र), एनपीए की तिथि:-30-फरवरी-2020	12-जुलाई-2024 (प्रतीकात्मक)
2	(एलसी सं.-26100000763)/ श्री/श्रीमती देवी सिंह (उधारकर्ता), श्री/श्रीमती मालती परिहार (सह-उधारकर्ता-1):	एच सं. 40 वार्ड सं. 32 मौजा नंदनपुरा मोहल्ला नंदनपुरा 2, सीपरी बाजार झांसी नायर पीएनबी बैंक झांसी झांसी उत्तर प्रदेश:- 284003	राशि:-28-नवंबर-2023, रु.-1,98,773/- (एक लाख अट्ठानबे हजार सात सौ तिहत्तर रुपये मात्र): एनपीए की तिथि:-31-जुलाई-2021	12-जुलाई-2024 (प्रतीकात्मक)
3	(एलसी नं.-26100000766)/ श्री नईम खान (उधारकर्ता)/ श्री समीर खान (सह-उधारकर्ता-1)	एच नं. 455 डीड-2 एच नं.- 459 डीड नं. वार्ड नं. 32 मौजा नंदनपुरा मेन रोड सीपरी बाजार झांसी झांसी झांसी उत्तर प्रदेश:- 284003	राशि:-29-जून-2021, रु.-36,39,255/- (रुपये छत्तीस लाख उनचालीस हजार दो सौ पचपन मात्र), एनपीए की तिथि : 12-मई-2021	12-जुलाई-2024 (अस्वीकार)

प्राधिकृत अधिकारी
जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड,
अरन्या - ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य कर रही है

दिनांक: 17.07.2024
स्थान: झांसी

JM FINANCIAL — जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या: U67190MH2007PLC74287
पंजीकृत कार्यालय: 7वीं मंजिल, सिनर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई 400025
संपर्क व्यक्ति: 1. प्रशान्त पाण्डे- 7054013999, 2. रोहन सावंत- 9833143013, 3. प्रशान्त मोंडे- 022 - 6224 1676,
वेबसाइट : www.jmfinancialarc.com — **ई-नीलामी बिक्री सूचना-नवीन बिक्री**

यह कि पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे पहले देवन हाउसिंग एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से) ने वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ('सरफेसी अधिनियम') की धारा 5 (1) (बी) के तहत सभी अधिकारों, स्वामित्व और हित के साथ अंतर्निहित प्रतिभूति हित के साथ जेएमएफआरसी- अरण्या- ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत जेएमएफआरसी (जेएम) (इसके बाद असाइनी के रूप में संदर्भित) के पक्ष में 29 मार्च, 2023 के एक असाइनमेंट समझौते ('असाइनमेंट एग्रीमेंट') के माध्यम से ऋण का एक पूल (नीचे उल्लिखित ऋण सहित) सौंपा है। सूचित किया जाता है कि पीसीएचएफएल को असाइनमेंट/सेवा अनुबंध के माध्यम से सभी परिचालन और प्रक्रिया प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाता/संग्रह एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत और नियुक्त किया गया है।
कर्जदारों से देय राशि की वसूली के लिए सरफैसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूति ऋणदाता के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा यहां उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति पर कब्जा करने के अनुसरण में, नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो भौतिक कब्जे में है, की 'जैसा है जहां है के आधार पर', 'जैसा है जो है के आधार पर' और 'जो कुछ भी है वहीं है के आधार पर' खरीद के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ऋण कोड/शाखा/कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर	मांग सूचना की तिथि तथा राशि	सम्पत्ति का पता : अन्तिम	आरक्षित मूल्य	जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (आरपी का 10%)	बकाया राशि (09-07-2024)
ऋण कोड संख्या: 06000005991, लखनऊ (शाखा), विनोद कुमार दुबे (कर्जदार), रितु आर (सह-कर्जदार 1)	दिनांक: 22-11-2021, रु. 24,70,488/-, (रुपये चौबीस लाख सत्तर हजार चार सौ अट्ठासी मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार है:- प्लॉट संख्या 621, खसरा संख्या 68 का हिस्सा सा ना माधव ग्रीन्स माधव ग्रीन्स गांव- लौलाई, परगना लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत 226020 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर: प्लॉट संख्या 620 दक्षिण: 10 मीटर चौड़ी सड़क 7.5 मीटर चौड़ी सड़क प्लॉट संख्या 622 और 623	रु. 29,40,000/-, (रुपये उनतीस लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 2,94,000/-, (रुपये दो लाख चौरानबे हजार मात्र)	रु. 34,08,844/-, (रुपये चौंतीस लाख आठ हजार आठ सौ चौवालीस मात्र)
ऋण कोड संख्या: 06000006605, लखनऊ (शाखा), आलोक तिवारी (कर्जदार), हर्षलता तिवारी (सह-कर्जदार 1)	दिनांक: 26-09-2019, रु. 12,49,827/-, (रुपये बारह लाख उनचास हजार आठ सौ सत्ताईस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार है:- प्लॉट संख्या 57 खसरा संख्या 218 का हिस्सा एनए गांव लोनापुर परगना तहसील और जिला गांव लोनापुर परगना तहसील और जिला लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत 226020 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर: प्लॉट संख्या 58 दक्षिण: प्लॉट संख्या 56 25 फीट सड़क प्लॉट संख्या 76	रु. 15,70,000/-, (रुपये पंद्रह लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 1,57,000/-, (रुपये एक लाख सत्तावन हजार मात्र)	रु. 24,32,068/-, (रुपये चौबीस लाख बत्तीस हजार अड़सठ मात्र)
ऋण कोड संख्या: 19300043568, लखनऊ- लालबाग (शाखा), आशुतोष कुमार सिंह (कर्जदार), निहारिका सिंह (सह-कर्जदार 1)	दिनांक: 28-06-2021, रु. 19,55,735/-, (रुपये उन्नीस लाख पचपन हजार सात सौ पैंतीस मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार है:- प्लॉट संख्या बी-13 और बी-14, एनए खसरा नं. 695, ग्राम-दानियालपुर, परगना खसरा नं. 695, ग्राम-दानियालपुर, परगना तहसील- नवाबगंज और लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर: प्लॉट नं. बी-15 दक्षिण: प्लॉट नं. बी-12 25 फीट रोड प्लॉट नं. बी- 20 और 21	रु. 20,40,000/-, (रुपये बीस लाख चालीस हजार मात्र)	रु. 2,04,000/-, (रुपये दो लाख चार हजार मात्र)	रु. 20,26,291/-, (रुपये बीस लाख छब्बीस हजार दो सौ इक्यानबे मात्र)
ऋण कोड संख्या: 06000007477, लखनऊ (शाखा), रौनक प्रताप सिंह (कर्जदार), मीना कुमारी (सह-कर्जदार 1)	दिनांक: 17-05-2021, रु. 10,97,252/-, (रुपये दस लाख सत्तानबे हजार दो सौ बावन मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार है:- खसरा नं. 96 पर प्लॉट, एनए ग्राम-मधरमऊ कला, परगना, ग्राम-मधरमऊ कला, परगना, तहसील-मोहनलालगंज लखनऊ लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 सीमाएं इस प्रकार हैं:- उत्तर: 20 फीट रोड दक्षिण: प्लॉट दीगर प्लॉट नं. -57 प्लॉट नं. - 55	रु. 15,50,000/-, (रुपये पंद्रह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 1,55,000/-, (रुपये एक लाख पचपन हजार मात्र)	रु. 17,07,616/-, (रुपये सत्रह लाख सात हजार छह सौ सोलह मात्र)
ऋण कोड संख्या: 19300043486, लखनऊ (शाखा), मोहम्मद इरशाद एम (कर्जदार), साजिदा एस (सह-कर्जदार 1)	दिनांक: 16-06-2021, रु. 15,87,394/-, (पन्द्रह लाख सत्तासी हजार तीन सौ चौरानबे रुपए मात्र)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भाग जिसकी सीमा इस प्रकार है:- प्लॉट नं. 1, खसरा नं. 286 मिंज, एनए ग्राम अमराई, वार्ड- शहीद भगत सिंह गाँव अमराई, वार्ड- शहीद भगत सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश 226020 में सीमा:- उत्तर: 20' चौड़ी सड़क दक्षिण: प्लॉट नंबर 215' चौड़ी सड़क प्लॉट नंबर 6	रु. 14,60,000/-, (रुपये चौदह लाख साठ हजार मात्र)	रु. 1,46,000/-, (रुपये एक लाख छियालीस हजार मात्र)	रु. 22,37,272/-, (रुपये बाईस लाख सैंतीस हजार दो सौ बहत्तर मात्र)

ई-नीलामी की तिथि: 22-08-2024, प्रात: 11.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 21-08-2024, शाम 4.00 बजे तक।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.jmfinancialarc.com/ Home/Assetsforsale या https://www.bankauction.in पर दिए गए लिंक को देखें।
कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री नोटिस
उपर्युक्त कर्जदार/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे धारा 13(2) में उल्लिखित राशि को नीलामी की तारीख से पहले अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि का भुगतान करें, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बेच दी जाएगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, कर्जदार/गारंटर से ब्याज और लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक: 17-07-2024, — हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थान: उ.प्र./उत्तराखंड — (अरण्या-ट्रस्ट)

टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(सीआईएन: L65910DL1989PLC034812)
पंजीकृत कार्यालय: चौथा तल, टॉवर 1, एनबीसीसी प्लेस, सैक्टर-V, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली-110017, फोन: 011-29561180, 47472200
ईमेल: complianceofficer@tfciltd.com, वेबसाइट: www.tfciltd.com

शेयर धारकों को एतदद्वारा सूचना दी जाती है

(निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) खाते में अप्रदत्त बेदावा लाभांश और कम्पनी के इक्विटी शेयरों के अन्तरण के लिए)

विषय: (1) अप्रदत्त/बेदावा रहे लाभांशों का दावा करने के लिए अनुस्मारक
(2) कम्पनी के बेदावा रहे इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ खाते में अन्तरण

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अन्तरण व धनवापसी) नियम, 2016 (नियम) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है।

अधिनियम की धारा 124(5) के अनुसार, सात वर्ष की अवधि के लिए अप्रदत्त या बेदावा रहे सभी लाभांशों को कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में अन्तरित किया जाना अपेक्षित है। जैसा कि अधिनियम और उसके नियमों के अधीन अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष 2015-16 तक सभी वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित अप्रदत्त या बेदावा रहे लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अन्तरित किया जा चुका है।

नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 124(6) के द्वारा यह अपेक्षित है कि सभी शेयर, जिनके सम्बन्ध में लगातार सात वर्ष या इससे अधिक समय से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या दावा नहीं किया गया है, (सम्बन्धित शेयरों) कम्पनी द्वारा यथानिर्धारित विवरणों की विवरणिका सहित आईईपीएफ के नाम में अन्तरित किए जाएंगे।

ऐसे सभी शेयरों, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2015-16 तक लगातार सात वर्ष या इससे अधिक समय से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या दावा नहीं किया गया है, (सम्बन्धित शेयरों) को कम्पनी द्वारा आईईपीएफ के नाम में पहले ही अन्तरित कर दिया गया है, जिसके यथानिर्धारित विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.tfciltd.com पर डाल दिए गए हैं। कम्पनी द्वारा दिनांक 13 मई, 2019, 6 जुलाई, 2020, 22 जून, 2021, 17 जनवरी, 2022, 12 जुलाई, 2022 एवं 5 जुलाई, 2023 तथा 15 जुलाई, 2024 के पत्र द्वारा इसकी सूचना सभी को अलग अलग भेज दी गई है और एजीएम/ईजीएम के नोटिस द्वारा भी जिन शेयरधारकों के शेयर उक्त नियमों के अधीन आईईपीएफ में अन्तरित किए जाने हैं, को उपयुक्त कार्रवाई (कार्रवाईयां) करने के लिए इसकी सूचना दे दी गई है। जैसा कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित है, कम्पनी के अप्रदत्त/ बेदावा लाभांशों के पूर्ण विवरण कम्पनी की www.tfciltd.com वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं।

आपसे अनुरोध है कि आप वर्ष 2016-17 से आगे के वर्षों के लिए आपके द्वारा अप्रदत्त/बेदावा रहे लाभांश, यदि कोई हों, के लिए अपना दावा टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड या कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड ट्रांसफर एजेंट के पास तत्काल प्रस्तुत करें।

यदि उपयुक्तानुसार हमें 5 सितंबर, 2024 तक लाभांश के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं होता तो हम उक्त अधिनियम और नियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए, इस बारे में अगली कोई सूचना दिए बिना, नियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सम्बन्धित शेयरों को आईईपीएफ में अन्तरित कर देंगे। शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ में सम्बन्धित शेयरों के ऐसा अन्तरण हो जाने के बाद, उसके अधीन उत्पन्न सभी भावी लाभ और भावी लाभांश, यदि कोई हों, को आईईपीएफ में क्रेडिट कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त शेयरधारक कृपया यह भी नोट करें कि ऊपर निर्दिष्ट अन्तरण हो जाने के बाद, उक्त नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने पर ही आईईपीएफ के पास धनवापसी का दावा किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि नियमों के अनुसरण में आईईपीएफ में अन्तरित किए गए बेदावा लाभांशों और शेयरों के सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

यदि शेयरधारकों को इस बारे में कोई प्रश्न पूछना है तो वे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय (या ई-मेल complianceofficer@tfciltd.com) या हमारे रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट (एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, यूनिट: टीएफसीआई लि0, प्रथम तल, एफ-65 ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020 या ई-मेल admin@mcsregistrars.com या helpdeskdelhi@mcsregistrars.com) पर सम्पर्क कर सकते है।

कृते टूरिज्म फाइनेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
संजय आहुजा
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 16 जुलाई, 2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड-शाहपुरा जिला-शाहपुरा

क्रमांक :- अ०अ०/शाह०/2024-25/निविदा/1103-1120 — **दिनांक-12/7/24**

नीलामी सूचना निविदा संख्या 21/2024-25 UNB NO. PHE 2425A1246.....

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधिशाषी अभियंता, जन स्वा.अभि. विभाग खण्ड शाहपुरा में स्थित भण्डार प्रांगण में दिनांक 07.08.2024 को अनुपयोगी नकारा सामानो की निलामी दोपहर 1.00 बजे से लोट/वजन के आधार पर की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 07.8.2024 को दोपहर 1.00 बजे तक पुस्तक मूल्य की 2 प्रतिशत धरोहर राशि (न्युनतम 500/- एवं अधिकतम 125000/-) की डी.डी./बैंकर्स बैंक EE PHED Division Shahpura के नाम पर जमा कराने के पश्चात ही निलामी में भाग ले सकते है। यदि किसी कारणवश कोई माल उस दिन नीलाम नहीं किया जा सका तो निलामी की आगामी दिनांक से अवगत करा दिया जावेगा। निलामी संबंधी पूर्ण अधिकारर निलामी समिति में निहित है। समिति का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा। निलामी किये जाने वाले सामानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नीलाम किये जाने वाले सामान का विवरण	समान का पुस्तक मूल्य (लाखों में)
1	सी.आई. स्क्रेप	0.51
2	एम. एस एण्ड जी.आई. स्क्रेप	35.06
3	इलेक्ट्रिक स्क्रेप	7.08
4	जी एम. स्क्रेप	0.05
5	सबमर्सिबल पम्प व मोटर स्क्रेप	6.20
6	सबमर्सिबल मोनों ब्लॉक पम्प सैट स्क्रेप	6.61
7	मोनो ब्लॉक पम्प सैट स्क्रेप	4.90
8	सिलेण्डर बॉडी स्क्रेप	1.92
	योग	62.33

विभागीय शर्तें:

1. इच्छुक खरीददार उपरोक्त वर्णित सामग्री का निरीक्षण इस विभाग के खण्डीय भण्डार में आकर कर सकते है।
2. बोली में आने वाले व्यक्ति को अमानत राशि उपरोक्तानुसार जमा करानी होगी। खरीद न करने वाले की अमानत राशि निलामी समाप्त हाने के पश्चात उसी दिन टोकन व रसीद प्रस्तुत करने पर ही लौटायी जायेगी।
3. निलामी बोली छूटने पर बोली की राशि का 25 प्रतिशत उसी दिन जमा कराना होगा, शेष 75 प्रतिशत राशि। निलामी तिथि से 7 दिवस में जमा कराकर माल प्राप्त कर सकेगे। उक्त अवधि में शेष राशि जमा नहीं कराने पर जमा राशि जब्त मानी जावेगी। इसमें कोई विवाद मान्य नहीं होगा। निलामी मात्रा में कमी/बेशी का अधिकार निलामी समिति को होगा।
4. निलामी के पश्चात खरीददार को नियमानुसार जी.एस टी / उन्य समस्त कर जमा करना होगा। निलामी तिथि से 15 दिवस की असधि में माल उठाना होगा, अन्यथा भण्डार में पड़े रहने पर 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अधिकतम एक माह की अवधि तक किराया चार्ज होगा। उसके पश्चात भी माल न उठाने पर निलामी स्वत रद्द समझी जायेगी एवं जमा राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।
5. जो माल जहा है, जैसा है उस स्थिति में ही लोट / वजन के अनुसार नीलाम किया जायेगा।
6. निलामी बोली लगने के पश्चात सामान का उचित मूल्य नहीं मिलने पर निलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निलामी समिति को होगा।
7. निलामी छोडने के तत्काल बाद में सामान की कमी/ चोरी अथवा अन्य किसी क्षति के लिए संबधित पार्टी स्वय जिम्मेदार होगी। विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
8. बोलीदाता बोली लगाने से पूर्व अमानत राशि की डी.डी./बैंकर्स चैक के साथ जी एस टी रजिस्ट्रेशन नम्बर/सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निलामी बोली में बोलीदाता भाग नहीं ले सकेगा।

हस्ता./-
(सीता सिह मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियात्रिक विभाग
खण्ड-शाहपुरा जिला-शाहपुरा।

DIPR/C/6040/2024

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

Chola — Enter a better life

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत, **शाखा कार्यालय :** प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।
कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।
कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फाय